न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए. सपठित धारा 136 एल.आर.ए

प्रकरण संख्याः- 416/2024

1 यशपाल शर्मा पुत्र श्री भूपेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 माया देवी पत्नी श्री पवन कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 लव शर्मा पुत्र श्री पवन कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 पायल पुत्री श्री पवन कुमार जाति ब्रन्हाण निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 ऊषा शर्मा पुत्री श्री भूपेन्द्र कुमार धर्मपत्नी विनोद कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी आरोग्या भवन, वार्ड 15, संगरिया तहसील संगरिया व जिला हनुमानगढ़।

6 सीता शर्मा पुत्री श्री भूपेन्द्र कुमार धर्मपत्नी महेन्द्र प्रताप शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी तहसील गेट के पास, वार्ड 20, नोहर तहसील नोहर व जिला हनुमानगढ़।

-:वादीगण

बनाम्

1 राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

2 असीम कुमार पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया हाल संजम एसोसियेट, धुडिया ट्रेडिंग कम्पनी के सामने, चण्डीगढ हॉस्पीट्ल रोड, हनुमानगढ जंक्शन

3 कृपालसिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी तारासिंह वाली ढाणी तहसील टिब्बी हाल संजम एसोसियेट, धुडिया ट्रेडिंग कम्पनी के सामने, चण्डीगढ हॉस्पीट्ल रोड, हनुमानगढ जंक्शन

4 रविन्द्रपाल सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति कम्बोज निवासी डबलीराठान हाल संजम एसोसियेट, धुडिया ट्रेडिंग कम्पनी के सामने, चण्डीगढ हॉस्पीट्ल रोड, हनुमानगढ जंक्शन

5 रामनिवास पुत्र जयराम जाति कुम्हार निवासी हनुमानगढ जंक्शन हाल संजम एसोसियेट, धुडिया ट्रेडिंग कम्पनी के सामने, चण्डीगढ हॉस्पीट्ल रोड, हनुमानगढ जंक्शन

6 सुखजिंन्द्र कौर पत्नी गुरलाल सिंह जाति जटसिख निवासी मक्कासर हाल संजम एसोसियेट, धुडिया ट्रेडिंग कम्पनी के सामने, चण्डीगढ हॉस्पीट्ल रोड, हनुमानगढ जंक्शन

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1 श्री विष्णु मुन्दड़ा अधिवक्ता - वादीगण

2 एकपक्षीय कार्यवाही - प्रतिवादी सं. 2 ता 6

3 राजपैरोकार - प्रतिवादी

-:निर्णयः-

दिनांक 17.02.2026

सहायक कलक्टर उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादीगण के नाम से संयुक्त खाता में चक 48 एनजीसी तहसील हनुमानगढ़ के खाता सं0

127/105 के प.न. 129/264 (42) के कि.न. 6, 7, 14 ता 17 सालम व कि.न. 8/1/126, 12/2/.127, कि.न. 18/2/.126, कि.न. 23/1/.114, 23/2/.013, 24/1/.228 व 24/2/.025, 25/1/.228 व 25/2/.025 कुल 15 किर्तो में 2.530 हैक्टेयर नाली प्रथम की कृषि भूमि दर्ज कागजात माल पटवार है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

यह कि इस कृषि भूमि का नक्शा आनलाईन करते समय मानवीय भूल से किला नम्बर 8 में कुआ दर्शाया गया है जो किला नम्बर 8 में मौजूद नही है तथा किला नम्बर 8 में वादीगण का कब्जा उत्तर से दक्षिण दिशा में .126 हेक्टेयर पर है परन्तु आनलाईन नक्शा में इसे पूर्व से पश्चिम दर्शाया गया है। इसी प्रकार किला नम्बर 23 में वादीगण का कब्जा पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा में .114 हेक्टेयर पर है तथा किला नम्बर 23, 24, 25 में हनुमानगढ़ टाउन रोड से सतीपुरा रोड़ में मिलने वाली सड़क को इस नक्शा में किला नम्बर 23, 24, 25 के उत्तर दिशा में दिखाया गया है परन्तु यह रोड़ इन किलो के दक्षिणी दिशा में बनी हुई है और मौका पर चल रही है। आनलाईन नक्शा तैयार करते समय यह गलती सहबन से हुई है जिनको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है ताकि वादीगण को किसी प्रकार को परेशानी ना हो। चित्र प्रति दस्तावेज संलग्न वाद पत्र है।

यह कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आनलाईन नक्शा में भूमि का आसा-पासा गलत दर्ज होने से वादीगण को कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। जिसके कारण वादीगण के हक-हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जिस कारण वादीगण वर्तमान राजस्व रिकार्ड के आनलाईन नक्शे की प्रविष्टि में कृषि भूमि का सही अंकन करवाना चाहते है।

यह कि वादी संख्या-3 द्वारा प्रतिवादी से गत सप्ताह पूर्व कृषि भूमि का आनलाईन गलत अंकन को दुरूस्त करने हेतू निवेदन किया तो वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण हैं।
यह कि उक्त बाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। लिहाजा वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जा वे कि -कि किला नम्बर 8 में कुआ दर्शाया गया है जिसे दुरूस्त किया जावे व इसी प्रकार किला नम्बर 8 में वादीगण का कब्जा उत्तर से दक्षिण दिशा में .126 हेक्टेयर पर है परन्तु आनलाईन नक्शा में इसे पूर्व से पश्चिम दर्शाया गया है, जिसे दुरूस्त किया जावे। इसी प्रकार किला नम्बर 23 में वादीगण का कब्जा पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा में .114 हेक्टेयर पर है तथा किला नम्बर 23, 24, 25 में हनुमानगढ़ टाउन रोड से सतीपुरा रोड़ में मिलने वाली सड़क को इस नक्शा में किला नम्बर 23, 24, 25 के उत्तर दिशा में दिखाया गया है परन्तु यह रोड़ इन किलो के दक्षिणी दिशा में बनी हुई है और मौका पर चल रही है। जिसे दुरूस्त किया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 2 ता 6 जरिये आदेशिका 24.09.2025 वाद संयोजित कर तलबी करवाई गई, तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जो तहसील पत्रांक भू.अ./2025/821 दिनांक 23.03.2025 व 2409 दिनांक 02.07.2025 द्वारा प्राप्त हुई। रिपोर्ट में तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा अंकन किया गया है कि **रिकार्ड की स्थिति-** 1 प.न. 129/264 मु.न. 42 कि.न. 8/1 में कुआं दर्शाया गया है और भू-नक्शा में पूर्व से पश्चिम में .126 है. पर है। 2 प.न. 129/264 मु.न. 42 कि.न. 23/1 में प्रार्थी का रकबा पश्चिम दिशा में दर्शाया गया है। 3 प.न. 129/264 मु.न. 42 कि.न. 23/2, 24/1, 25/1 में गै.मु. रास्ता भू-नक्शा में रास्ता उत्तर दिशा में दर्शाया गया है। **मौका की स्थिति-** 1 प.न. 129/264 मु.न. 42 कि.न. 8/1 में कुआं दर्शाया गया है लेकिन मौके पर कुआं नहीं है लेकिन रिकार्ड अनुसार पुराने समय से गै.मु. कुआं दर्ज है, प्रार्थी ने

पूर्व दिशा में काश्त करना बताया गया जो मौके पर काश्त कर रहा है। 2 प.न. 129/264 मु.न. 42 कि.न. 23/1 में प्रार्थीयान ने पूर्व दिशा में काश्त करना बताया है जो कि मौके पर काश्त कर रहा है। 3 प.न. 129/264 मु.न. 42 कि.न. 23/2, 24/1, 25/1 में गै.मु. रास्ता जो दक्षिण दिशा में चालू है। अतः परिवर्तित किया जाना उचित है।

वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस निवेदन किया कि वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें संलग्न जमाबंदी चक 48 एनजीसी खाता सं. 127/105 में रकबा में कही पर भी गै.मु. कुआं दर्ज रिकार्ड नहीं है। मुताबिक वाद पत्र के राजस्व नक्शा में में कि.न. 8/1 में गै.मु. कुआं दर्शाया गया है जो तहसील रिपोर्ट अनुसार काश्त भूमि है। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। उभय पक्ष द्वारा दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादी मुताबिक तहसीलदार हनुमानगढ के रिपोर्ट अनुसार निर्णित किया जाता है कि:- **चक 48 एनजीसी** प.न. 129/264 मु.न. 42 कि.न. 8/1 में मुताबिक जमाबंदी व मौका अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जावे। प.न. 129/264 मु.न. 42 कि.न. 23/1 में तहसील रिपोर्ट में प्रार्थीगण की पूर्व दिशा में काश्त करना बताया है अतः मौका अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प.न. 129/264 मु.न. 42 कि.न. 23/2, 24/1, 25/1 में गै.मु. रास्ता जो दक्षिण दिशा में चालू है इसी अनुसार भू-नक्शा में अंकन किया जावे। अतः उक्त नक्शा परिवर्तन मुताबिक तहसीलदार हनुमानगढ रिपोर्ट के राजहित प्रभावित नहीं होने की दशा में किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। हल्का पटवारी हनुमानगढ जंक्शन द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 27.08.2025 निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ